



EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Chief Personnel Officer
द्वितीय तल, - 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 146/2018
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/G

RBE No-118/2018
Date: 07.09.2018

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं. रे. प्र/व. मं. का. अधिकारी/मं. का. अधिकारी-खोरघारोड, बालातेरू, संबलपुर,
मु; कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व. का अधिकारी (नि) /भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Filling of the posts of Jr. Translator of Zonal Railways-
reg.

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(NG)I2018/PM11/1Dtd.20.08.2018 की
प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's No. E(NG)I2018/PM11/1Dtd.20.08.2018 on
the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance
and necessary action.

Encl: As above,

(Gundicha Sethy)
Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Pr. Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि. (मुख्या.-1), सहा.कार्मिक अधि. (कल्याण),
सहा.कार्मिक अधि. (बिल), सहा.कार्मिक अधि. (भर्ती)

1885
26/8

आर बी ई सं. 118/2018 03/12

D. P. Singh

CPD(A)

1000

18/8

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

ECOR

8

सं. ई(एनजी)-2018/पीएम11/1

नई दिल्ली, दिनांक 20.08.2018

महाप्रबंधक(कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- क्षेत्रीय रेलों पर कनिष्ठ अनुवादकों के पदों को भरने के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 13.09.2012 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/1/5/2 के अनुसार कनिष्ठ अनुवादक ग्रेड-पे रु.4200 लेवल-6 के 100% पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है। अब यह संज्ञान में आया है कि रेल भर्ती बोर्ड अनुवादकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की स्थिति में नहीं है। अतः इन पदों की 50% रिक्तियों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने हेतु प्रस्ताव बोर्ड को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया है कि कनिष्ठ अनुवादकों के पदों की 50% रिक्तियों को उदार नियमों के तहत एकबारगी व्यवस्था के रूप में (as one time exception) सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें विभागीय उम्मीदवार आवश्यक पात्रता व मानदण्डों को पूर्ण करते हों, के द्वारा भरा जाए। (इसके द्वारा महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे के दिनांक 10.05.2018 के पत्र सं.पी-329/4/2 का निपटान हो जाता है)।

कृपया पावती दें।

18/8
(एम.के.मीना)

उप निदेशक स्था.(अराज)
रेलवे बोर्ड

18/8